

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- 1030

दिनांक :- 17/02/17

आदेश

खण्ड चित्तौड़गढ़ के अधीन विभिन्न आवासीय योजनाओं में उपलब्ध (जंहा है, जैसा है की स्थिति में) आवासों को अति0 मुख्य अभियन्ता-द्वितीय के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारित किए जाने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है, योजना/शहर वार आवासों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	कॉलोनी का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1.	सैती सेगवा रोड, चित्तौड़गढ़	अल्प आय वर्ग	3-बी-28	01
2.	सैती सेगवा रोड, चित्तौड़गढ़	मध्यम आय वर्ग 'अ'	3-बी-11	01
3.	प्रतापगढ़	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	1/57 (प्लिंथ लेवल)	01
4.	प्रतापगढ़	मध्यम आय वर्ग 'ब'	3/124	01
5.	अटल नगर निम्बाहेड़ा	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	2/16, 2/32, 2/108, 2/26, 2/118	05
6.	अटल नगर निम्बाहेड़ा	अल्प आय वर्ग	3/465, 3/331, 3/330 (ई)	03
7.	अटल नगर निम्बाहेड़ा	मध्यम आय वर्ग 'अ'	2/272, 3/387, 5/109	03
8.	अटल नगर निम्बाहेड़ा	मध्यम आय वर्ग 'अ' (डुप्लेक्स)	6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25, 6/26, 6/36, 6/40, 6/45, 6/47, 6/48, 6/58, 6/59, 6/56	18
9.	अटल नगर निम्बाहेड़ा	मध्य आय वर्ग 'ब' (डुप्लेक्स)	6/99, 6/100, 6/90, 6/92, 6/93	05
10.	अटल नगर निम्बाहेड़ा	उच्च आय वर्ग	4/137, 4/138, 4/139, 4/140, 4/142, 4/143, 4/113, 4/114	08
कुल आवासों की संख्या				46

उपरोक्त आवासों को निम्न शर्तों पर नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जावे:-

1. आवासीय योजना में आवास आवंटन हेतु कोई भी पूंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं हैं।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मंडल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हो।
5. आवास आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेश माननीय आवासन आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा पैरा 9/एन पर अनुमोदित है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, रा.आ.मंडल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.) प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि)/मुख्य संपदा प्रबंधक, रा.आ.मंडल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-उदयपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-चित्तौड़गढ़, राजस्थान आवासन मण्डल, चित्तौड़गढ़।
8. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. प्रभारी नागरीक सेवा केन्द्र, मुख्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेब-साईट पर अपलोड व सभी को ई-मेल करे।
10. रक्षित पत्रावली।


सम्पदा प्रबंधक (मु0)